तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
29.9.22	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उप०। वकील प्रतिवादी साक्ष्य गवाहान और नहीं करवाने चाहते है, जो प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाती है। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 06.10.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
06.10.22	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। बहस गत पेशी पर सुनी गई थी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। वादी पक्ष की मुख्य दलील है कि वादग्रस्त खाते में वादीगण का हक हकूक व कब्जा-काश्त व वादग्रस्त खाते मुतवफी ताराराम के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण वारिस होने से 2/3 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने बाद बंटवारा के साथ रकबा [illegible] जारी करवाने चाहते है। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
29.9.22	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उप०। वकील प्रतिवादी साक्ष्य गवाहान और नहीं करवाने चाहते है, जो प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाती है। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 06.10.2022 को पेश हो।
	सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
06.10.22	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। बहस गत पेशी पर सुनी गई थी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। वादी पक्ष की मुख्य दलील है कि वादग्रस्त खाते में वादीगण का हक हकूक व कब्जा-काश्त व वादग्रस्त खाते मुलजमी नारायणी के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण वारिस होने से 2/3 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने बाद बंटवारा के साथ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने चाहते है।
	सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

144/2007

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मांगीलाल पुत्र तारसिंह के नाम आसामी खातेदारी इन्द्राज हो रखी है, और तारसिंह के वारिसान नाम होने से खातेदारी अधिकारी नहीं दिए जा सकते हैं। क्योंकि उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से साबित करना पड़ता है। जैसा वादी पक्ष नहीं कर पाया है और बयानात से भी प्रमाणित नहीं होता है, कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का कोई हक हकूक होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन से वाद में सफलता नहीं मिल सकती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट साबित है, कि वादी पक्ष अपना वाद साबित करने में असफल रहे हैं। लिहाजा वादीगण का वाद साक्ष्य सबूत के अभाव के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पत्र जारी हो। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	